समाहरणालय, बक्सर
(जिला गोपनीय शाखा)

संयुक्त जिला आदेश

मुख्यमंत्री साईकिल, पोशाक, प्रोत्साहन एवं छात्रवृति योजना के अन्तर्गत राशि वितरण कार्यक्रम के संबंध में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक **691** दिनांक **11-12-2014** के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक **22-12-2014** से **05-01-2014** के मध्य आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री साईकिल, पोशाक, प्रोत्साहन एवं छात्रवृति योजना की राशि लाभुकों के बीच वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में दिनांक **22-12-2014** से **05-01-2014** तक आयोजित कैम्प में सुचारू रूप से वितरण कार्यक्रम हेतु निम्नवत निदेश दिए जाते हैं:—

1- गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में भी छात्रवृति एवं प्रोत्साहन की राशि को भी विद्यालय स्तर पर ही शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के साथ ही कैम्प लगाकर सीधा छात्र/छात्राओं को कैश ट्रान्सफर किया जायेगा।

2- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में यह वितरण कार्यक्रम दिनांक **22-12-2014** से **05-01-2015** के बीच अभियान' चलाकर सभी विद्यालयों में यथा संभव बिहार विधान मंडल एवं संसद सदस्यों, जिला परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों, नगर निकाय के अध्यक्ष एवं सदस्यों पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित), विद्यालय शिक्षा समिति/ विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों छात्र–छात्राओं के माता–पिता/ अभिभावक एवं शिक्षकों की उपस्थिति में की जाएगी।

3- वितरण से पूर्व अप्रैल से सितम्बर **2014** की अवधि में **75%** छात्रोपस्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना से विद्यालयवार लाभान्वित होने वाले छात्र–छात्राओं के लिए नकद राशि मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्याालयो, अनुदानित प्रस्वीकृत/ संस्कृत/ मदरसा एवं अनुदानित (वित्त रहित) स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं अंगीभूत/ संबद्धता प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य/ संबंधित निकासी व्ययन पदाधिकारी निर्दिष्ट योजनाओं के लिए कर्णाकित राशि की निकासी दिनांक **20-12-2014** तक सुनिश्चित करेंगे।

4- इसी प्रकार वितरण से पूर्व अप्रैल **2014** से सितम्बर **2014** की अवधि में **75%** छात्रोपस्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय के माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के चिन्हित छात्र/छात्राओं को यथास्थिति छात्रवृति एवं प्रोत्साहन राशि सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात राशि निकासी की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी है। उक्त वितरण भी इसी कैम्प में निर्धारित अवधि में विद्यालय स्तर पर कराने की जवाबदेही जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की होगी। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित करेगें।

4- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा चिन्हित छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की राशि वितरित कराया जाना है।

5- कैम्प में निर्धारित अविध में विद्यालय स्तर पर कराने की जवाबदेही जिला कल्याण पदाधिकारी की होगी। इस हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

6- **Pre-Receipt** का संधारण करते हुए **Voucher Drawal** कर राशि की निकासी यथा निर्देशित (स्वीकृत्यादेश के अनुसार) सक्षम स्तर पर करने के उपरांत राशि के सीधे विद्यालय के निर्दिष्ट बैंक खाता में बैक अंतरण के माध्यम से हस्तानांतरित करा दी जायेगी। **AC Drawl** प्रतिबंधित होगा।

7- जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त निर्धारित अवधि में विद्यालयवार वितरण कार्यक्रम तैयार कराकर उसका प्रचार – प्रसार विभिन्न माध्यमों यथा – समाचार पत्र, इन्टरनेट **(Website)** आदि के द्वारा कराना सुनिश्चित करेंगे।

संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्राचार्य/ प्रभारी प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक का यह दायित्व होगा कि जन प्रतिनिधियों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित), विद्यालय शिक्षा समिति/ विद्यालय प्रबंधन समिति एवं छात्रों के माता–पिता/ अभिभावक को औपचारिक रूप से वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित करना सुनिश्चित करेंगे।

8- शिक्षा विभाग, जिला/ प्रखण्ड प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी द्वारा शिविरों का भ्रमण कर छात्रवृति वितरण व्यवस्था का अनुश्रवण करेंगे। संबंधित संस्थान के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य छात्रवृति वितरण के **15** दिनों के अन्तर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से प्रखण्डवार वितरण से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/ जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

9- वितरण के दिन संबंधित प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक **Disbursement Register** में लाभान्वितों का हस्ताक्षर लेने के साथ ही विद्यालय शिक्षा समिति/ विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों तथा जन प्रतिनिधियों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित) से उसे अवलोकित करायेंगे ताकि वित्तीय अंकेक्षण के साथ–साथ सामाजिक अंकेक्षण भी सुनिश्चित हो सके। वितरण के क्रम में संबंधित विद्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि एक छात्र/ छात्रा किसी एक ही प्रोत्साहन योजना से अच्छादित हो अर्थात् **Duplication** नही हो। इस वितरण कार्यक्रम का विडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु जिला पदाधिकारी –सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देशित निर्वाचन के अनुमोदित दर पर विडियोग्राफर की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। इस राशि का भुगतान प्राथमिक / मध्य विद्यालय को प्रदत्त विद्यालय विकास अनुदान एवं माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध विकास कोष की राशि से की जायेगी।

10- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रोत्साहन की राशि के वितरण की प्रक्रिया पूर्व से ही संचालित है। इस क्रम में सभी संबंधितों को निदेश दिया जाता है कि उक्त मद की राशि जिसका वितरण अभी शेष हो, का वितरण भी उक्त निर्धारित अवधि में कैम्प के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे।

11- निर्धारित समय तालिका के अनुरूप राशि की उपलब्धता हर स्तर पर सुनिश्चित कराने हेतु पूर्व तैयारी यथा विद्यालय के खाते में राशि का अंतरण, बैंको से समन्वय, प्रधानाध्यापकों का उन्मुखीकरण आदि कर लेना आवश्यक होगा।

12- वितरण समारोह दिनांक **22-12-2014** से **05-01-2014** के बीच सम्पन्न होगा, उसके अनुश्रवण हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, बक्सर से समन्वय स्थापित कर सभी स्तरों में बैंक से राशि निकासी एवं उनके वितरण हेतु सुरक्षा आदि मामलों पर समन्वय स्थापित कर समुचित कार्रवाई करना आवश्यक होगा।

13- छात्रवृति की राशि के वितरण के लिए जिला स्तर पर **श्री सुरेश प्रसाद मंडल, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, बक्सर (9507377260)** नोडल पदाधिकारी रहेंगे। नोडल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में छात्रवृति की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

14- शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एवं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत विद्यालय स्तर पर माह अप्रैल **2014** से सितम्बर **2014** तक कुल शैक्षणिक दिवस का **75%** उपस्थित रहने वाले छात्र/छात्राओं को राशि दिये जाने का प्रावधान है।

15- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **Pre-Receipt** का संधारण करते हुए **Vouched Drawal** कर निर्देशित स्वीकृत्यादेश के अनुसार राशि की निकासी करेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा **Pre-Receipt** का संधारण करते हुए राशि की निकासी कर सीधे विद्यालय के निर्दिष्ट बैंक खाता अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित करायेंगे। **AC Drawl** प्रतिबंधित होगा। प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र/छात्राओं की सूची निम्न प्रपत्र में तैयार किया जाएगा।

क्र0	छात्र का नाम	पिता का नाम	वर्ग	वर्ग क्रमांक	योजनाओं का नाम	अवधि	छात्रवृति/ संबंधित योजना की दर

मुख्यमंत्री साईकिल योजना

1- इस योजनान्तर्गत राजकीय/ राजकीयकृत (नव उत्क्रमित विद्यालय सहित)/ प्रोजेक्ट माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों/ अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/ संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग **IX** में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को साईकिल क्रय हेतु **2500/-** (दो हजार पॉच सौ) रूपये नगद भुगतान किया जाना है।

2- राशि की निकासी छात्र/छात्राओं से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर तत्संबंधी वचनवद्धता अंकित करते हुए प्रधानाध्यापक/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लेखा एवं योजना द्वारा विपत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

3- राशि वितरण के पूर्व एक भुगतान पंजी **(Disbursement Register)** संधारित किया जायेगा जिसमें लाभान्वितों की सूची यथा छात्र/छात्रा का नाम, माता–पिता का नाम, वितरण की जाने वाली राशि एवं

प्राप्ति हेतु एक पंजी तैयार की जायेगी। राशि वितरण के समय राशि भुगतान के तुरंत बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी। इस पंजी को संबंधित प्रधानाध्यापक अंकेक्षण आदि कार्य हेतु संरक्षित रखेंगे।

4- राशि वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी करायी जायेगी। विडियोग्राफी इस प्रकार करायी जायेगी जिससे शिविर में उपस्थित जन प्रतिनिधि एवं सरकारी पदाधिकारी की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही प्रत्येक छात्र/ छात्राओं को राशि भुगतान का विडियोग्राफी कराया जायेगा।

5- राशि वितरण विद्यालय में शिविर आयोजन कर किया जाना है। शिविर आयोजन की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना है। शिविर का आयोजन विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा।

6- योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन जिला स्तर पर **श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर (8544411179), श्री रामनाथ राम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना (9430664897), श्री सुरेश प्रसाद मंडल, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान (9507377260) एवं श्री विनायक पाण्डेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (RMSA)** के द्वारा किया जाना है।

मुख्यमंत्री बालक /बालिका पोशाक योजना

1- इस योजना के अन्तर्गत राशि वित्तीय वर्ष **2014-15** के राजकीय/राजकीयकृत/ सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंम्भिक विद्यालय के वर्ग **I – VIII** में माह अप्रैल **2014** से सितम्बर **2014** तक कुल शैक्षणिक दिवस का **75%** उपस्थित रहने वाले छात्र/छात्राओं को पोशाक मद की राशि उपलब्ध कराया जाना है।

2- राजकीय/राजकीयकृत/ सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंम्भिक विद्यालय के वर्ग **I – VIII** तक के छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित दर से पोशाक मद में राशि उपलब्ध करायी जायेगी–

- **(i)** कक्षा **1** से **2** के सभी बच्चो को **400/-** प्रति वर्ष।
- **(ii)** कक्षा **3** से **5** के सभी बच्चो को **500/-** प्रति वर्ष।
- **(iii)** कक्षा **6** से **8** के सभी बच्चो को **700/-** प्रति वर्ष।

3- वितरण के दिन संबंधित प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक **Disbursement Register** में लाभान्वितों का हस्ताक्षर लेने के साथ ही विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा राशि वितरित किया जायेगा, जिसमें छात्र/ छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा का नाम, कोटि भुगतान की गई राशि तथा लाभार्थी का हस्ताक्षर अंकित होना आवश्यक होगा। वितरण के क्रम में संबंधित विद्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि एक छात्र /छात्रा किसी एक ही प्रोत्साहन योजना से आच्छादित हो अर्थात **Duplication** नही हो। इस वितरण कार्यक्रम का विडियोग्राफी कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देशित निर्वाचन के अनुमोदित दर पर विडियोग्राफर की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। इस राशि का भुगतान प्राथमिक/ मध्य विद्यालय को प्रदत विद्यालय विकास अनुदान एवं माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध विकास कोष की राशि से की जायेगी।

मुख्यमंत्री बिहार शताब्दी बालिका पोशाक योजना–

1- मुख्यमंत्री बिहार शताब्दी बालिका पोशाक योजनान्तर्गत राजकीय/ राजकीयकृत (नव उत्क्रमित विद्यालय सहित) प्रोजेक्ट माध्यमिक/ माध्यमिक विद्यालयों/ अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/ संबद्धता प्राप्त इंटर महाविद्यालयों में वर्ग **1X, X, XI & XII** में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु **1,000/-** (एक हजार) रूपये नगद भुगतान किया जाता है।

2- राशि का वितरण माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर महाविद्यालयों में औसतन न्यूनतम **75%** उपस्थिति वाले छात्राओं को ही किया जाना है।

3- मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित दर प्रस्वीकृत/ संस्कृत/ मदरसा एवं अनुदानित वित्त रहित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्र/ छात्राओं की संख्या एवं प्राप्त कर राशि की निकासी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा / प्रधानाध्यापक द्वारा राशि निकासी कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव को उपलब्ध करायें जो विद्यालय के योग्य छात्राओं के बीच राशि का वितरण करें।

4- राशि की निकासी छात्राओं से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर तत्संबंधी वचनबद्धता अंकित करते हुए प्रधानाध्यापक/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना द्वारा विपत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

5- जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर के अनुश्रवण में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा, राजकीय/ राजकीयकृत (नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सहित) एवं प्रोजेक्ट माध्यमिक / उच्च विद्यालयों के प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक को राशि उपावंटित की जाती है।

6- राशि का वितरण विद्यालय/ इंटर महाविद्यालय में शिविर आयोजित कर किया जाना है। शिविर आयोजन की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना है।

7- शिविर का आयोजन विद्यालय इंटर महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य द्वारा किया जायेगा।

8- राशि वितरण के पूर्व एक भुगतान पंजी **(Disbursement Register)** संधारित किया जायेगा जिसमें लाभान्वितों की सूची यथा छात्रा का नाम, माता/पिता का नाम, दी जाने वाली राशि एवं प्राप्ति स्तम्भ की एक पंजी तैयार की जायेगी। राशि वितरण के समय राशि भुगतान तुरंत बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी। इस पंजी को संबंधित प्रधानाध्यापक अंकेक्षण आदि कार्य हेतु सुरक्षित रखेंगे।

9- राशि वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी करायी जायेगी। विडियोग्राफी इस प्रकार करायी जायेगी जिससे शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं सरकारी पदाधिकारी की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही प्रत्येक छात्राओं को राशि भुगतान का विडियोग्राफी कराया जायेगा।

10- किसी अन्य योजना के अन्तर्गत जिन छात्राओं को पोशाक उपलब्ध करायी गयी है वैसे छात्राओं को इस योजना का लाभ नही दिया जाना है। संबंधित छात्राओं के माता–पिता से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जाना है।

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना–

1- मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बुद्धमार्ग, पटना द्वा आयोजित **10**वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग (बी0सी0–**2**) की छात्राओं को **10,000/-** (दस हजार) रूपये प्रति छात्रा की दर से भुगतान किया जाता है।

2- राशि उन्ही छात्राओं को दी जायेगी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, द्वारा आयोजित **10**वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर **+2** की कक्षा में अध्ययनरत हो।

3- राशि का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग (बी0सी0–**2**) की छात्रा को जिलावार संख्या के आधार पर संबंधित जिला को आवंटित किया जाता है।

4- राशि का वितरण छात्राओं के नाम/ बैंक खाता संधारित रहने की उपस्थिति में राशि का अंतरण बैंक द्वारा छात्राओं के बैंक खाते में सीधे की जायेगी। बैंक खाता संख्या अनुपलब्ध रहने की स्थिति में बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (छात्रवृति)–

प्री– मैट्रिक छात्रवृति योजना (I से X)

1- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के चिन्हित **75%** उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की राशि का वितरण विद्यालय स्तर पर संलग्न कार्यक्रम के अनुसार करना है।

2- राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष **2014-15** में छात्रवृति की राशि को भी विद्यालय स्तर पर ही शिक्षा विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के साथ ही कैम्प लगाकर सीधा छात्र/छात्राओं को नगद राशि का भुगतान किया जायेगा।

3- वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह वितरण कार्यक्रम दिनांक दिनांक **22-12-2014** से **05-01-2014** के बीच अभियान चलाकर सभी विद्यालयों में यथा संभव विहार विधान मंडल एवं सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्यों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित) ग्राम पंचायत के मुखिया एवं सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों (सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों सहित) विद्यालय शिक्षा समिति/ विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों, छात्र–छात्राओं के माता–पिता/ अभिभावक एवं शिक्षकों की उपस्थिति में की जायेगी। सामान्य कोटि की कक्षा **I – X** तक **75%** उपस्थिति वाले सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की राशि शिक्षा विभाग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

4- जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर **Pre-Receipt** का संधारण करते हुए **Vouched Drawal** कर राशि की निकासी निर्देशित स्वीकृत्यादेश के अनुसार राशि को सीधे विद्यालय के निर्दिष्ट बैंक खाता में बैंक अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित करायेंगे। **AC Drawl** प्रतिबंधित होगा।

5- इस योजना के तहत वर्ग I से X में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग एवं अति पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान किया जाना है। वर्ग I से IV 50/- रूपये प्रति माह, वर्ग V से VI 100/- रूपये प्रति माह एवं वर्ग VII से X 150/- रूपये मुसहर जाति छात्रवृति योजना के अन्तर्गत वर्ग I से VII तक प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह 100 रू0 की दर से 12 माह के छात्रवृति प्रदान किया जाना है। प्रति माह (12 माह के लिए) विद्यालय छात्रवृति प्रदान किया जाता है।

6- इस योजना के तहत पिछड़ा वर्ग (BC-II) के केवल छात्र को आर्थिक आधार पर उनके माता–पिता/अभिभावक का वार्षिक अधिकतम वार्षिक आय रू0 1,00,000,/- (रूपये एक लाख) निर्धारित है। पिछड़ा वर्ग के छात्राओं एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के अभिभावक के लिए कोई अधिकतम आय सीमा नही होगी।

7- दिनांक 01-04-2014 से 30-09-2014 तक अवधि के औसतन न्यूनतम 75% प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को ही छात्रवृति देय होगी।

8- विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य/ प्रधान शिक्षक द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई छात्रवृति की राशि, मुख्यमंत्री साईकिल योजना तथा मुख्यमंत्री पोशाक योजना की राशि वितरित करने के लिए आयोजित शिविरों में ही वितरित करेंगे। अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सामाजिक न्याय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में छात्रवृति वितरण किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं की तैयार की गई सूची में सामाजिक न्याय समिति की स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

9- शिक्षा विभाग, जिला/ प्रखण्ड पदाधिकारियों के साथ जिला कल्याण पदाधिकारी एवं प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी द्वारा शिविरों का भ्रमण कर छात्रवृति वितरण व्यवस्था का अनुश्रवण करेंगे। छात्रवृति वितरण के एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से प्रखण्डवार उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त सभी प्रकार के विहित कार्यक्रमो के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशियों के वितरण सामाजिक उत्सव के रूप में जिले के सभी प्राथमिक/ मध्य/ माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किया जायेगा। जिसका प्रखंडवार तिथि का निर्धारण **परिशिष्ट – क** के अनुसार किया जाता है तथा विधि व्यवस्था संधारण के लिए दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है जो **परिशिष्ट – क** पर संलग्न है **परिशिष्ट – क** में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपने पर्यवेक्षण में उपरोक्त कार्यक्रम सम्पन्न करायेंगे।

निदेश

1- सभी प्रखण्डों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक द्वारा वितरण की तिथि से पूर्व राशि की निकासी कर बैंको से नकद राशि प्राप्त कर अपने पास रख लेगें। बैंको से राशि निकासी में किसी भी स्तर से बैंको द्वारा असहयोग की बात सामने आने पर अविलम्ब अपने प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे ताकि राशि की निकासी सुचारू रूप से की जा सके। विद्यालयवार छात्र–छात्राओं की पूरी सूची जिन्हें 75% उपस्थिति के आधार पर राशि उपलब्ध कराने हेतु चयनित किया गया है की सूची को विद्यालय के सूचनापट्ट पर प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे। सभी विद्यालयों के वितरण

की तिथि से पूर्व विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा सभी जन प्रतिनिधियों को शिविर में उपस्थिति हेतु आमंत्रित कर लिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय विकास निधि से वितरण शिविर कार्यक्रम का वीडियोग्राफी कराने तथा वीडियोग्राफी के क्रम में यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र–छात्राओं, शिक्षकों एवं उपस्थित पदाधिकारियों की वीडियोग्राफी हो जाय।

दैनिक आधार पर वितरण के संबंध में संख्या एवं राशि की विद्यालयवार सूची प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

2- प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि अपने प्रखंड में अवस्थित सभी विद्यालयों में वितरण कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार विधि–व्यवस्था में अपनी तत्परता रखेंगे।

3- कोषागार पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विभिन्न विद्यालयों से प्राप्त होने वाले विपत्रों पर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विपत्र पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

4- प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से वितरण की स्थिति को नियमित अनुश्रवण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार उन्हें अपेक्षित सहयोग एवं मार्गदर्शन देंगे तथा अपने प्रखंड भ्रमण के क्रम में विद्यालय में वितरण कार्यक्रम का भौतिक रूप से निरीक्षण कर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5- अग्रणी बैंक प्रबंधक, बक्सर का यह उत्तरदायित्व होगा कि सभी बैंकों के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु दैनिक स्तर पर समीक्षा करेंगे। किसी भी बैंक से सुगमता पूर्वक राशि की निकासी सुनिश्चित करायेंगे। यदि किसी प्रखंड विकास पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी द्वारा राशि की समस्या उत्पन्न होने पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

6- अनुमंडल पदाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि अपने–अपने अनुमंडल में वितरण के कार्यक्रम के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियॉ सुनिश्चित कर लेंगे और किसी भी प्रकार से विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे। किसी विद्यालय / स्थान पर किसी भी कारणवश कोई अव्यवस्था होने की बात प्रकाश में आने पर तत्परतापूर्वक विधि–व्यवस्था के आलोक में व्यवस्थित रूप से वितरण सुनिश्चित करायेंगे। अनुमंडल क्षेत्र में इस कार्यक्रम में विधि–व्यवस्था संधारण का संयुक्त उत्तरदायित्व अनुमण्डल पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की होगी।

सम्पूर्ण जिले में इस वितरण कार्यक्रम के क्रम में यदि किसी भी स्तर से यथा प्रशासनिक पदाधिकारियों, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापक / अध्यापक, बैंकों के पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा लापरवाही बरते जाने के कारण कोई अव्यवस्था / विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर संबंधितों पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी तथा अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। पूर्व के वर्षो में ऐसा देखा गया कि कर्त्तव्य में लापरवाही, वितरण कार्यक्रम में समुचित सूचनाओं के प्रदर्शन के अभाव आदि के कारण विद्यालय में छात्र / छात्राओं / अभिभावकों / ग्रामीणों द्वारा तोड़–फोड़ एवं बेंच–डेस्क जलाये जाने, शिक्षकों / पदाधिकारियों को बंधक बनाये जाने आदि का मामला प्रकाश में आता हैं, किसी भी परिस्थिति ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाये और

यदि सारी तैयारियों के बावजूद ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होता है तो संबंधित कर्मी / पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

7- राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के ज्ञापांक **8167** दिनांक **08-12-2014** के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर अपने संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से छात्रवृति / पोशाक / साईकिल / प्रोत्साहन राशि का कैम्प में हुये वितरण का प्रतिवेदन प्राप्त कर भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रत्येक दिन अपराह्न **06:00** बजे तक राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के **E-mail- ssabihar@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी एक प्रति जिला गोपनीय शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

8- निदेशक (प्रशासन) –सह– अपर सचिव के ज्ञापांक **4171** दिनांक **05-12-2014** के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा के सभी पदाधिकारियों एवं सभी शिक्षकों का अवकाश दिनांक दिनांक **22-12-2014** से **05-01-2015** तक के लिए रद्द किया जाता है।

9- शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति – जनजाति कल्याण तथा पिछड़ा एवं अतिछिड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत आयोजित इस वितरण कार्यक्रम के सम्पूर्ण वरीय प्रभार में **मो0 मोबीन अली अंसारी, उप विकास आयुक्त, बक्सर (मो0 नं0– 94318 18347)** रहेंगे तथा सभी जिला स्तर एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा में भेजना सुनिचित करेंगे।

16/12

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर।

16.12.14

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10.2024 / बक्सर, गो0 दिनांक 16 वीं दिसम्बर, **2014**

प्रतिलिपिः सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी / प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी / प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव / अग्रणी बैंक प्रबंधक, / सभी बैंको के जिला समन्वयक / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना / श्री राम नारायण राम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा एवं योजना/ श्री सुरेश प्रसाद मंडल, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान / श्री विनायक पाण्डेय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (RMSA) / जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर / डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः माननीय सांसद/ जिले के सभी माननीय विधायक/ माननीय विधान पार्षद / अध्यक्ष जिला परिषद / मुख्य पार्षद, नगर परिषद, बक्सर एवं डुमरॉव/ प्रखण्ड प्रमुख को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर।

16.12.14

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10·2024 / बक्सर, गो0 दिनांक 16 वीं दिसम्बर, **2014**

प्रतिलिपिः राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, पटना / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डेहरी ऑन–सोन को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति / प्रधान सचिव, पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण विभाग / प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग / प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

16/12 — 16.12.14

पुलिस अधीक्षक,
बक्सर।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।